अध्याय 22

वाचा की पुस्तक (भाग 3)

वाचा की पुस्तक (20:22-23:33) इस अध्याय में जारी है, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक निर्देश शामिल हैं। निर्गमन 22 में चोरी, मूर्तिपूजा से सम्बन्धित नियम, तरस दिखाने की आवश्यकता और परमेश्वर को आदर देने के तरीके शामिल हैं।

यह अध्याय दूसरों की सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों की सूची के साथ शुरू होता है। इन नियमों को आठवीं आज्ञा "तू चोरी न करना" (20:15) के विस्तार और अनुप्रयोग के रूप में माना जा सकता है। इन नियमों में चोरी (22:1-4), अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में लापरवाही (22:5, 6), दूसरों की सम्पत्ति के उपयोग में लापरवाही (22:7-15) और दूसरे मनुष्य की बेटी का दुरुपयोग (22:16, 17) शामिल हैं। फिर, मूर्तिपूजा (22:18-20) से सम्बन्धित अपराधों के एक खंड के बाद, यह अध्याय, लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस्राएली लोगों को समाज के खेदित लोगों - परदेशी, विधवा, अनाथ और गरीब के प्रति तरस (22:21-27) दिखाने थे। अन्त में, परमेश्वर का आदर उचित रीति से करने का अनुदेश दिया गया है (22:28-31)।

सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध (22:1-17)

चोरी (22:1-4)

[1]"यदि कोई मनुष्य बैल, या भेड़, या बकरी चुराकर उसका घात करे या बेच डाले, तो वह बैल के बदले पाँच बैल, और भेड़ बकरी बकरी के बदले चार भेड़-भर दे। [2]यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए, और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए, तो उसके खून का दोष न लगे; [3]यदि सूर्य निकल चुके, तो उसके खून का दोष लगे; अवश्य है कि वह हानि को भर दे, और यदि उसके पास कुछ न हो, तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। [4]यदि चुराया हुआ बैल, या गदहा, या भेड़, या बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए, तो वह उसका दूना भर दे।"

इस भाग के नियमों का पहला समूह चोरी से जुड़ा हुआ है, किसी मनुष्य का दूसरों की वस्तुओं की चोरी करना। प्रत्येक उदाहरण यह निर्धारित करता है कि किसी मनुष्य द्वारा आठवीं आज्ञा को तोड़ने पर (20:15) उसे दोषी माना जाता था या नहीं, और यदि हाँ, तो क्या विशिष्ट जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

कई अनुवाद (RSV; NRSV; NEB; REB) इन आयतों के लेख को सरल बनाने के प्रयास में पुन: क्रम देते हैं। ये संस्करण निम्न क्रम में आयतों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं: 1, 3b, 4, 2, 3a. 1 आयत के बाद ("यदि कोई मनुष्य बैल, या भेड़, या बकरी चुराकर ..."), तो अगला अनुवाद 3b के साथ जारी रहता है ("अवश्य है कि वह हानि को भर दे ..."), फिर आयत 4 ("यदि चुराया हुआ बैल, या गदहा, या भेड़, या बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए ..."), उसके बाद आयत 2 और 3a ("यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए ... यदि सूर्य निकल चुके ... ") आता है। क्योंकि, कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, यह इंगित करने के लिये कि ये आयत कभी भी किसी अन्य व्यवस्था की तुलना में NASB में पाया गया था। प्रतीत होता है कि अव्यवस्थित पाया जाना सम्भवतः इब्रानी लेख में एक जानबूझकर प्राकृतिक क्रम (ABBA) है:

A1: "यदि कोई मनुष्य बैल, या भेड़, या बकरी चुराकर उसका घात करे या बेच डाले, तो वह बैल के बदले पाँच बैल, और भेड़-बकरी के बदले चार भेड़ बकरी भर दे।" (22:1)।

B1: "यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए, और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए, तो उसके खून का दोष न लगे;" (22:2)।

B2: "यदि सूर्य निकल चुके, तो उसके खून का दोष लगे; अवश्य है कि वह हानि को भर दे" (22:3)।

A2: "तो उसके खून का दोष लगे; अवश्य है कि वह हानि को भर दे, और यदि उसके पास कुछ न हो, तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। यदि चुराया हुआ बैल, या गदहा, या भेड़, या बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए, तो वह उसका दूना भर दे।" (22:3, 4)।

आयत 1. यह अध्याय इस सिद्धांत के साथ शुरू होता है: यदि कोई **मनुष्य बैल, या भेड़ को चुराता है** और फिर उससे छुटकारा पाना चाहता है, तो उसे बैल के बदले पाँच बैल, और भेड़-बकरी के बदले चार भेड़-बकरी भरना पड़ेगा। पुनर्स्थापित करने में अन्तर सम्भवतः इस तथ्य पर आधारित है कि एक परिवार के लिये भेड़ की तुलना में बैल अधिक मूल्यवान था। आर. एलन कोल ने लिखा, "एक प्रशिक्षित बैल केवल एक भेड़ की तुलना में ही अधिक मूल्यवान नहीं है, परन्तु इसे एक भेड़ के स्थान पर बदलना कठिन है।"[1]

शायद इस दण्ड का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वह इसमें शामिल नहीं था। प्राचीन निकट पूर्व के अन्य नियमों के विपरीत,[2] मूसा के नियम ने कभी मृत्यु या देह विच्छेद का निर्धारण सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध के लिये नहीं किया- उदाहरण

के लिये, किसी चोर का हाथ काटना। इसके विपरीत आज चोरी के लिये आवश्यक दण्ड दिया जाता है, नियम जेल में कारावास या समय सीमा को निर्धारित नहीं करता था। आखिरकार, प्राचीन इस्राएल में कोई पुलिस बल नहीं था, और कोई जेल या कैदखाने नहीं थे।

आयत 2. आयत 1 का सिद्धान्त इस अनकहे प्रश्न को उठाता है: क्योंकि चोर को मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाता था, तो उस चोर का क्या होता था जो अपराध के आयोग के दौरान मारा जाता था? इसका उत्तर यह है कि यदि गृहस्थ रात में एक घुसपैठ को **सेंध लगते हुए** पकड़े और मार डाले, तो वह निर्दोष ठहरता था। अनुवाद यह सुझाव दे सकता है कि जब वह चोर को मारता था, तब उसका इरादा उसको मारने का नहीं था (देखें 21:12)।

आयत 3. परन्तु, यदि गृहस्थ ने **सूर्य निकलने** के बाद चोर को मारा हो, तो **उसके खून का दोष** अवश्य लगेगा। मृत चोर के खून का दोषी होने के कारण घर के स्वामी को मृत्यु दण्ड सुनाया जाता था।

दो मामलों के बीच का अन्तर इस तथ्य पर निर्भर करता है कि एक चोर रात को नहीं देखा जा सकता है। घर का स्वामी उसके इरादों का अनुमान नहीं लगा सकता था, यह जान पाना कि उसका इरादा चोरी करने का था या हत्या करने का था।[3] उसे अपने और अपने परिवार की रक्षा घातक बल के साथ करने का अधिकार था। परन्तु, "सूर्य निकल चुके" होने के बाद दिन की रोशनी में गृहस्थ देख सकता था कि चोर क्या करने वाला था। उसे एक शक्तिशाली हत्यारा के रूप में नहीं, परन्तु एक चोर के रूप में पहचानने पर, घर के स्वामी को उसे मारने का कोई अधिकार नहीं था।

इस नियम ने एक इस्राएली को आत्म बचाव करने का अधिकार सिखाया, यहाँ तक कि घातक बल के साथ, यदि उसे लगता था कि उसके मारे जाने की सम्भावना हो सकती थी।[4] यह चोर के जीवन का मूल्य भी बनाए रखता है, जिसने सम्पत्ति को प्राथमिकता दिया था। मूसा के नियम के अनुसार, किसी मनुष्य का जीवन - एक चोर का भी, किसी भी वस्तु से अधिक मूल्यवान था।[5]

एक और अनकहा प्रश्न यह है: यदि चोर चुराए हुए जानवरों की कीमत चौगुना या पाँच गुना भुगतान नहीं कर पाता, तो क्या किया जाता था? तो **वह** अपनी **चोरी के कारण बेच दिया** जाएगा, और धन, निःसंदेह हानि को भरने के लिये उस परिवार को दिया जाएगा।

आयत 4. एक अन्तिम अस्वाभाविक प्रश्न आयत 4 में प्रकट होता है: यदि चोर ने अभी तक चोरी किए हुए पशु को नहीं बेचा या खाया हो, तो उसका दण्ड क्या था? यदि जानवर **उसके हाथ में जीवित पाई जाए**, तो जीवित पशु को उसके उसी स्वामी को वापस कर दिया जाएगा। इसके मूल्य के चार या पाँच गुना भुगतान करने के बदले, चोर तब उसका मूल्य **दूना भर दे**।

खेत या दाख की बारी सम्बन्धी लापरवाही (22:5, 6)

5"यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चराए, अर्थात् अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। 6यदि कोई आग जलाए, और वह काँटों में लग जाए और फूलों के ढेर या अनाज या खड़ा खेत जल जाए, तो जिसने आग जलाई हो वह हानि को निश्चय भर दे।"

दूसरे समूह का सम्पत्ति नियम क्षति-पूर्ति से सम्बन्धित है जो पड़ोसी के खेत या दाख की बारी के लिये किया जाता है।

आयत 5. यहाँ दो मामलों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले कोई **पशु** को **छोड़** देना और उसका **पराए खेत को** चर लेना चिन्ता का विषय है। एक बैल की मौत से सम्बन्धित नियमों (21:33, 34) को ध्यान में रखते हुए, भटकते पशु के स्वामी को जो उसके पशु ने चर लिया था उस क्षति की पूर्ति करना था। ऐसा करने में, वह आहत हुए स्वामी को मामूली नहीं कर सकता था। इसके बदले, उसे जो उसके पास होता था **उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भरना** पड़ता था।

आयत 6. दूसरा मामला एक खेत के स्वामी को दर्शाता है जैसे उसने आग जलाना शुरू किया हो, शायद काँटों को जलाया हो ताकि वह फसल उपजा सके या जिससे घास पनपने लगे (देखें 22:5, NEB)। परन्तु, उसकी लापरवाही के कारण, आग को नियन्त्रण से बाहर जलाया गया, जिससे दूसरे मनुष्य के खेत का **अनाज** नष्ट हो गया। ऐसे मामले में, जिस मनुष्य ने **आग लगाई थी**, उसे **हानि को निश्चय भरना** पड़ता था।

दोनों ही मामलों में, हानि पहुँचाने वाला मनुष्य लापरवाह था, द्वेष रखनेवाला नहीं था। जब अनजाने में गलती हुई, तब आहत हुए परिवार की क्षति पूर्ति करना पर्याप्त था। इस प्रकार की परिस्थितियों के लिये कोई आपराधिक दण्ड नहीं दिया जाता है।

दूसरों की सामग्री को सुरक्षित रखने में असफल होना (22:7-15)

7"यदि कोई दूसरे के पास रुपए या सामग्री की धरोहर धरे, और वह उसके घर से चुराई जाए, तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा। 8यदि चोर न पकड़ा जाए, तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई-बन्धु की सम्पत्ति पर हाथ लगाया है या नहीं। 9चाहे बैल, चाहे गदहे, चाहे भेड़ या बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाए, जिसे दो जन अपनी अपनी कहते हों, तो दोनों का मुक़द्दमा परमेश्वर के पास आए; और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दूना भर दे। 10यदि कोई दूसरे को गदहा या बैल या भेड़-बकरी या कोई और पशु रखने के लिये सौंपे, और किसी के बिना देखे

वह मर जाए, या चोट खाए, या हाँक दिया जाए, [11]तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए, 'मैं ने इसकी सम्पत्ति पर हाथ नहीं लगाया;' तब सम्पत्ति का स्वामी इसको सच माने, और दूसरे को उसे कुछ भी भर देना न होगा। [12]यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो, तो वह उसके स्वामी को उसे भर दे। [13]और यदि वह फाड़ डाला गया हो, तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिये ले आए, तब उसे उसको भी भर देना न पड़ेगा। [14]फिर यदि कोई दूसरे से पशु माँग लाए, और उसके स्वामी के संग न रहते उसको चोट लगे या वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। [15]यदि उसका स्वामी संग हो, तो दूसरे को उसकी हानि भरना न पड़े; और यदि वह भाड़े का हो तो उसकी हानि उसके भाड़े में आ गई।"

तीसरे समूह में, ध्यान उस मनुष्य की विफलता पर होता है जो उसे सौंपी गई सम्पत्ति की रक्षा करता है। इस समय तीन स्थितियों को चित्रित किया गया है: पहला "रुपए या सामग्री" जो किसी दूसरे के पास रखा जाता है, दूसरी एक पशु जिसे दूसरे के पास रखा जाता है, और तीसरा उधार की सम्पत्ति की हानि से जुड़ा हुआ है।

आयत 7. यह पहला मामला **दूसरे के** पास सौंपे गए **रुपए या सामग्री** के बारे में है। इस तरह की व्यवस्था निश्चित रूप से बैंकों के शुरू होने से पहले सम्भव थी। यदि कोई **चोर** कुछ ऐसी वस्तु चुरा लेता है जिसे किसी दूसरे के पास धरोहर के रूप में रखा जाता था, तो उसे चुराई हुई वस्तु के मूल्य का दूना भरना पड़ता था (तुलना 22:4)।

आयत 8. यदि, फिर भी, **चोर पकड़ा न जाता** था, तो चुराई गई सामग्री का वास्तविक स्वामी के पास केवल **घर के स्वामी** का शब्द होगा कि सामग्री चोरी हो गया है। यदि ऐसा हुआ है, तो वह इस बात पर भरोसा कर सकता है कि अपनी जिस सम्पत्ति के साथ उसने उस मनुष्य पर विश्वास किया था, उसने सचमुच उसका सामान बेच दिया था और धन को अपने लिये रखा छोड़ा था। ऐसी स्थिति में, दोनों पुरुषों को किसी न्यायालय में **परमेश्वर के पास** लाया जाएगा।

22:8, 9 में शब्द אֱלֹהִים *(एलोहीम)* का अनुवाद "न्यायियों" किया गया है, और इसका अनुवाद "परमेश्वर" (देखें 21:6 पर टिप्पणी) किया जा सकता है। यदि इसका अर्थ "परमेश्वर के पास" है, तो दोषी मनुष्य को परमेश्वर के प्रतिनिधियों के सामने सम्भवतः पवित्र स्थान में उपस्थित होना पड़ता था। तब चोरी का दोषी मनुष्य स्पष्ट रूप से इस्राएल के अधिकारियों के सामने शपथ खाता था कि वह निर्दोष था (देखें 22:11)। जे फिलिप ह्याट के अनुसार, "यह माना जाता है कि [परमेश्वर] की उपस्थिति में एक शपथ इतना पक्का होता है कि वह मनुष्य झूठी शपथ से कोई कसम नहीं खा सकता है।"[6] जॉन आई. डरहम ने तर्क दिया कि दोनों मनुष्य शायद उरीम और थुमिम के माध्यम से ईश्वरीय निर्णय प्राप्त करते थे (देखें 28:30)।[7]

आयत 9. यह आयत सब प्रकार की सम्पत्ति, जानवरों और वस्तुओं को शामिल करने के लिये नियम का विस्तार करती है। इसमें किसी भी स्थिति को शामिल

किया गया है जिसमें एक मनुष्य विश्वास करता था कि उसने दूसरे मनुष्य के कब्जे में एक **खोई हुई** या चोरी हुई वस्तु को देखा था। जब ऐसा हुआ, स्वामी ने कहा, "**'यह वही है'**; यह मेरी सम्पत्ति है जो खो गया था।" फिर वे दोनों मनुष्य **न्यायियों के पास** या "परमेश्वर के पास" जाते थे। जो दोषी पाया जाता था - चाहे वह मनुष्य जिसने वह ले लिया हो जो उसका नहीं था या वह मनुष्य हो **जो दूसरे** पर झूठा आरोप लगाता था - तो दूसरे मनुष्य को हथियाई गई वस्तु के मूल्य का **दूना भरना** आवश्यक था।[8]

आयतें 10, 11. इस दूसरे मामले में, यह बताया गया है कि **एक मनुष्य** ने **दूसरे** मनुष्य को **अपने लिये** कुछ **रखने** के लिये कहा था, परन्तु इस बार वह वस्तु एक **पशु** था। पिछले मामलों की तरह, जिसे दूसरे मनुष्य को सौंपा गया था, वह खो गया है; इस स्थिति में वह या तो **किसी के बिना देखे वह मर जाए,** या **चोट खाए,** या **हाँक दिया जाए**। फिर, यह सम्भव है कि पशु को रखने वाले मनुष्य ने वास्तव में इसे स्वयं ले लिया हो। इस मामले में, **यहोवा की शपथ** - पहले परमेश्वर के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में - मामला को सुलझाया जाता था। यदि पशु के रखवाले ने इस तरह की शपथ खाई, तो पशु का **स्वामी** अपने शब्द को सच माने और उसे पुन: कुछ भी **भर देना** न था।

आयत 12. यदि पशु **सचमुच चुराया गया** था, तो जो मनुष्य उसे रखता था वह पशु के **स्वामी को उसे भर देना** था, क्योंकि सम्भवतः वह लापरवाह था। परन्तु, उसे दूना भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह अपराध का दोषी नहीं था।

आयत 13. यदि किसी पशु को किसी जंगली जानवर द्वारा **फाड़ डाला गया** था, तो जो मनुष्य इसे रख रहा था, उसे पशु के स्वामी को शव को **प्रमाण के** रूप में दिखाने की आवश्यकता थी (देखें आमोस 3:12)। उसे **भर देना न** पड़ता था, क्योंकि किसी मनुष्य को एक जंगली जानवर ने जो किया था उसके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

आयत 14. तीसरा मामला सम्पत्ति से सम्बन्धित है जो किसी **दूसरे** को सौंपे जाने के बदले माँग लाया या किराए पर लाया जाता था। उदाहरण के लिये, कोई मनुष्य अपनी भूमि में हल जोतने के लिये दूसरे का बैल ला सकता है। यदि माँग लाए पशु को **चोट लग** जाता या वह मर जाता था, जब उसका स्वामी उसके साथ नहीं होता था, तब उस माँगनेवाले को **स्वामी** को **निश्चय हानि भरना पड़ता था।**

आयत 15. दूसरी ओर, यदि, जब पशु को चोट लगे या वह मर जाए, और उसका **स्वामी** उसके संग हो तो उसके उपयोग करनेवाले को उसकी **हानि भरना** नहीं पड़ता था। क्योंकि पशु का स्वामी उसके संग था, इसलिये चोट या मौत सम्भवतः उपयोगकर्ता की लापरवाही के कारण नहीं हुआ था और सम्भवतः उससे बचा नहीं जा सकता था; इसलिये, उपयोगकर्ता किसी भी गलत काम का दोषी नहीं था। इसके अलावा, यदि पशु **माँग लाया जाता** था, तो माँग लाने के लिये पहले खर्च किया जाने वाला पैसा पशु के उपयोग के लिये पर्याप्त होता था।[9]

किसी पुरुष की बेटी से कुकर्म (22:16, 17)

16"यदि कोई पुरुष किसी कन्या को, जिसके विवाह की बात न लगी हो, फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे, तो वह निश्चय उसका मोल देके उससे विवाह कर ले। 17परन्तु यदि उसका पिता उसे देने से बिलकुल इन्कार करे, तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपये तौल दे।"

"सम्पत्ति" के विरुद्ध चौथे प्रकार के अपराध में एक पुरुष की बेटी का दुरुपयोग को बताया गया है। यद्यपि आजकल अधिकांश लोगों के लिये यह बात अप्रिय है कि एक पुरुष की बेटी को "सम्पत्ति" के रूप में माना जाता है, जबकि प्राचीन इस्राएल में पिता अपनी बेटी की अर्थात् जब तक कि उसका विवाह नहीं हो जाता था उसपर "स्वामित्व" रखता था। इसलिये, उसका दुर्व्यवहार "सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध" के रूप में माना जा सकता था। पीटर एन्स ने बताया कि यह अपराध "'सम्पत्ति की क्षति' की श्रेणी में आता है, 'सामाजिक जिम्मेदारी' की नहीं।"[10] इस मामले में, एक पुरुष "एक कुँवारी को फुसलाकर उसके संग कुकर्म करता है" जिसका न तो विवाह हुआ हो और न ही मंगनी हुई हो।

आयत 16. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मामला फुसलाकर कुकर्म करने की घटना से सम्बन्धित है, बलात्कार से नहीं। नहूम एम. सरना ने कहा कि स्त्री के संग कुकर्म "बहलाकर या धोखे से किया जाता था परन्तु बलात्कार द्वारा नहीं। कन्या की ओर से सहमति की भावना होती है"; "इन्न एज्रा बताते हैं कि कानूनी विषयों का अनुक्रम 'चोरी की सम्पत्ति के मामले से चुराया हुआ मन का है।' दोनों ही अपराध हैं, जिनमें से आर्थिक क्षति और मुआवजे का भुगतान करना पड़ता है।"[11]

इसके अलावा, यहाँ चित्रित कन्या के लिये बात नहीं की गई थी; यदि वह विवाहित हो या किसी दूसरे से विवाह का वायदा किया गया हो, तो वह पुरुष व्यभिचार का दोषी होगा। व्यवस्थाविवरण 22:23-27 एक कुँवारी के लिये जुर्माना निर्धारित करता है जो स्वेच्छा से एक पुरुष के साथ सोती है (दोनों को मार डाला जाना था) और अनैतिक रूप से (केवल पुरुष को पत्थरवाह किया जाना था)। और जैसा कि, दण्ड निर्धारित किया गया है कि उसे **उसके लिये रुपये तौल देना** होता और उससे विवाह करना होता था। लेख से पता चलता है कि कुँवारियों के लिये एक निर्धारित कीमत ठहराई गई थी।

आयत 17. यदि **पिता** ने अपनी बेटी को उस पुरुष को विवाह में देने से इन्कार कर दिया, तो उस पुरुष को तब भी उसके लिये **मोल देना** पड़ता था।[12] आर. एलन कोल ने स्थिति को नीचे व्यक्त किया है:

> यह [एक बेटी को फुसलाकर कुकर्म करने के बारे में नियम] डकैती के सामान्य शीर्षक के अंतर्गत आता है। एक अविवाहित कन्या, एक प्रकार से, उसके पिता की सम्पत्ति होती थी, और वह निश्चित रूप से उसके लिये विवाह उपहार या 'दुल्हन-मोल' को प्राप्त करे ...। इस उदाहरण में, क्योंकि एक पुरुष ने दुल्हन का

मोल दिए बिना किसी कन्या को ले लिया है, उसे दुल्हन मोल देना जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा अब कौन उसका मोल देगा?[13]

इस नियम के बारे में दो बातें उल्लेखनीय हैं (1) व्यभिचार - एक अविवाहित व्यक्ति के साथ यौन सम्बन्ध - व्यभिचार के पाप के समान नहीं है। इस सम्बन्ध में, नए नियम का नैतिक स्तर पुराने की तुलना में अधिक ऊँचा है। (2) जबकि फुसलाकर कुकर्म की गई कुँवारी के लिये जुर्माना उचित मोल प्रदान करता था, अपराध मुख्य रूप से पिता के विरुद्ध होता था, जिसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। जब तक उसके पिता को कोई आपत्ति नहीं होता था कि उसकी बेटी को उसका पति मिले। विवाह पति का नहीं, परन्तु पिता का निर्णय होता था।

मूर्तिपूजा से सम्बन्धित मुख्य अपराध (22:18-20)

[18]"तू जादू-टोना करनेवाली को जीवित रहने न देना [19]जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। [20]जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिये बलि करे उसका सत्यानाश किया जाए।"

इन आयतों में से तीन नियम दस आज्ञाओं के पहले दो नियमों से जुड़े हुए हैं, जो इस्राएलियों को यहोवा के अलावा किसी अन्य ईश्वरों के होने से मना किया गया (20:3-6)।

आयत 18. इनमें से पहला नियम जादू-टोना के अभ्यास पर रोक लगाता है। जिसके लिये पुल्लिंग शब्द "जादू-टोना करनेवाला" का प्रयोग न कर स्त्रीलिंग शब्द **जादू-टोना करनेवाली** का प्रयोग किया गया है, शायद क्योंकि इस अभ्यास में लगे पुरुषों की तुलना में स्त्रियाँ अधिक थीं। जादू-टोना करने के लिये मृत्युदंड कठोर लगता है जब तक यह स्मरण नहीं किया जाता कि जादू-टोना करनेवाली, यहोवा परमेश्वर के बदले किसी अन्य से अलौकिक सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करती थी (देखें व्यव. 18:9-14)। अपने स्वभाव से, जादू-टोना अन्य "ईश्वरों" की वास्तविकता और शक्ति को स्वीकार करता है और आगे भी इंगित करता है कि इसका अभ्यास करनेवाले यहोवा के बदले उन ईश्वरों के प्रति अधिक भक्ति रखते थे।

आज तक इस निषेध को लागू किया जाता है,[14] यह मसीहियों को झाड़-फूँक करनेवालों, हस्तरेखा देखनेवालों और भावी कहनेवाले लोगों से सहायता या मार्गदर्शन प्राप्त करने से रोकता है। परन्तु, यह लेख मसीही युग में चुड़ैलों या जादू-टोना करनेवालियों के लिये मृत्यु दण्ड का आदेश जारी नहीं करता है, जबकि अन्य लेख जो कि व्यभिचार के लिये मृत्यु दण्ड तय करते हैं, जो आज भी उससे कहीं अधिक लागू है।[15] क्योंकि मसीह का राज्य "इस संसार का सा नहीं" है, इसलिये उसकी कलीसिया के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से पापी को दण्डित करने का अधिकार नहीं है।

आयत 19. पहली दृष्टि में, इस पशुगमन पाप का प्रतिबंध, सातवें आज्ञा का

विस्तार लगता है, "तू व्यभिचार न करना" (20:14)। निश्चित रूप से, इसे उस आज्ञा से सम्बन्धित होने के रूप में देखा जा सकता है। इसलिये, इस संदर्भ में इसका मिलना एक और सम्बन्ध का सुझाव देता है। कुछ कनानी देवताओं का जानवरों के साथ यौन सम्बन्ध होने को दर्शाया गया था। इसलिये यह आज्ञा का सम्बन्ध न केवल यौन दुराचार के साथ हो सकता है, बल्कि यौन दुराचार का अन्य देवताओं की पूजा से जुड़े होने से भी हो सकता है।[16] लैव्यव्यवस्था 18:23-25 का हवाला देते हुए पीटर एन्स ने जोर देकर कहा कि पशुगमन का पाप एक धार्मिक अपराध था।[17] किसी भी मामले में, जो इस पाप का अपराधी था, उसे निश्चय मार डाला जाना था (देखें लैव्य. 20:15, 16; व्यव. 27:21)।[18]

आयत 20. वाचा की पुस्तक में अन्य समूहों के नियमों के विपरीत, तीन नियमों का यह समूह बुनियादी सिद्धान्त को पहले नहीं बल्कि अन्त में बताता है। सामान्य नियम में आयत 20 में कहा गया है, यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिये बलि करने की आज्ञा नहीं दी गई है। यह नियम दण्ड से परे है **केवल यहोवा** की आराधना न करने की घोषणा पहले की गई थी, जो कहता है कि जो कोई यहोवा को छोड़ किसी **और देवता** की आराधना करे, दोषी ठहरता है और उसका **सत्यानाश किया** जाएगा। क्रिया חָרַם *(चरम)*, जिसका अनुवाद "सत्यानाश किया जाए" जो अनुवाद किए गए क्रिया "मार डाला जाए" से बिल्कुल अलग है। सरना ने कहा कि यह "सरल मृत्युदण्ड सूत्र से अधिक कठोर दण्ड है। इसमें सम्पूर्ण विनाश और इसमें अपराधी की सम्पत्ति का विनाश भी शामिल है।"[19]

तरस खाने के नियम (22:21-27)

[21]"तुम परदेशी को न सताना और न उस पर अन्धेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। [22]किसी विधवा या अनाथ बालक को दुःख न देना। [23]यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुःख दो और वे मेरी दोहाई दें, तो मैं निश्चय उनकी दोहाई सुनूँगा; [24]तब मेरा क्रोध भड़केगा, और मैं तुम को तलवार से मरवाऊँगा, और तुम्हारी पत्नियाँ विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएँगे। [25]यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे तो उससे महाजन के समान ब्याज न लेना। [26]यदि तू कभी अपने भाई बन्धु के वस्त्र को बन्धक करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना; [27]क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा; फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा? और जब वह मेरी दोहाई देगा तब मैं उसकी सुनूँगा, क्योंकि मैं करुणामय हूँ।"

यह अगला भाग परमेश्वर की करुणा के नियमों को निर्धारित करता है। इस्राएलियों को परदेशियों (22:21), विधवाओं और अनाथों (22:22-24) और दीनों (22:25-27) के प्रति तरस खाना चाहिए। सरना ने लिखा,

> ये मानवतावादी नियम पूर्ववर्ती धार्मिक नियमों के बाद स्थापित हो सकते

हैं ताकि मूर्तिपूजा के नैतिक भ्रष्टाचार (आयतें17-19) और इस्राएल के परमेश्वर की नैतिक प्रकृति के बीच एक अन्तर स्थापित हो सके। इसके अतिरिक्त, वे इस विचार को प्रोत्साहित करने के लिये काम करते हैं कि गैर-इस्राएली धार्मिक प्रथाओं (आयत 19) की अस्वीकृति का उपयोग, अत्याचार से मुक्त होने वाले सभ्य व्यवहार के लिये परदेशी के असहनीय अधिकार पर नहीं होता है (आयत 20)।[20]

ये नियम अपनी रीति से पूर्ववर्ती लोगों से अलग हैं। जबकि पिछले वाले को "यदि/फिर" वाक्यांश के ("भ्रान्तिपूर्ण" रूप) में प्रस्तुत किया गया था, ये नियम दस आज्ञाओं के समान हैं, बस "तू करना" या "तू न करना" ("भली-भाँति सिद्ध" रूप) कहते हैं। इसके अलावा, जबकि पहले ही उन अपराधों के नाम दिए गए थे जिनके लिये दण्ड की आज्ञा थी, परदेशियों के साथ दुर्व्यवहार करनेवाले या गरीबों से ब्याज लेनेवाले को दण्डित करने के लिये इस्राएल के पास कोई प्रावधान नहीं था। ये विवेक से काम लेने के मामले थे।

फिर भी, इन स्पष्ट अनिवार्यताओं का पालन करने के लिये लेख में कारण दिए गए हैं। (1) क्योंकि इस्राएली मिस्र देश में परदेशी (22:21) थे, तो उन्हें परदेशियों पर दया करना चाहिए। (2) उन्हें अपने अनुभवों और सहानुभूति से प्रेरित होना चाहिए, उन अनुभवों को उजागर करना चाहिए; यदि गरीब मनुष्य रात में अपने वस्त्र से वंचित रह जाता है, तो उसके पास सोने के लिये कुछ भी नहीं होगा और उसको ठंडा में सहना होगा (22:27)। (3) सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें उन लोगों के लिये दया दिखाने के लिये था, जो स्वयं का देखभाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर दया दिखाई थी। इस प्रकार, यदि वे निर्बलों को पीड़ित करते हैं, तो वह उन्हें दुःख देगा (22:23, 24)। विलबर फील्ड्स ने ध्यान दिया कि परमेश्वर "के पास विधवाओं और अनाथों के लिये एक विशेष सुरक्षात्मक प्रेम है।"[21]

समाज के बहिष्कृत, शोषित और निर्बल लोगों के लिये परमेश्वर की चिन्ता अक्सर पुराने नियम में दिखाई देती है (व्यव. 14:29; 16:11, 14; 24:17-21; 26:12, 13; 27:19; भजन 94:6; यशा. 1:23; 10:2; यिर्म. 7:5-7; जकर्याह 7:10; मलाकी 3:5)। मसीहियों को भी वैसे ही वंचित लोगों के लिये चिन्ता दिखानी चाहिए।

आयत 21. तरस पर लेख के पहले भाग में, परमेश्वर ने इस्राएल से कहा कि **परदेशी को न सताना और न उस पर अन्धेर करना**, उसने उन्हें सिखाने के लिये **मिस्र** में उनके स्वयं के दुःख सहने की इस्राएल को स्मरण करने की अपील की। ऐसा लगता है मानो, परमेश्वर कह रहा है, "निश्चित रूप से, तुम नहीं चाहते कि दूसरे दुःख सहें जैसे कि तुमने सहा था।" यहाँ "परदेशी" इस्राएलियों के बीच रहने वाले गैर-इस्राएली लोग हैं; इब्रानी शब्द גֵּר *(गेर)* एक विदेशी निवासी को संदर्भित करता है। कई गैर-इस्राएली इस्राएल के साथ मिस्र को छोड़ दिए (12:38), और नियम ने उनके लिये प्रावधान किया। प्रतिज्ञा के देश में पहुँचने के बाद दूसरे लोग उनके बीच रहने लगे।

आयतें 22-24. परमेश्वर ने इस्राएलियों को चेतावनी दी कि वे **किसी विधवा या अनाथ** का लाभ न उठाएँ। ऐसों का उनकी देखभाल करने के लिये कोई नहीं था और इसलिये शोषण करनेवालों के लिये वे निर्बल प्राणी थे। परमेश्वर ने कहा कि वह उन असहाय लोगों की **दोहाई सुनकर** उनके दुःख देनेवालों को **मरवाएगा**, और तरस न खानेवालों की **पत्नियाँ विधवा** और उनके **बालक अनाथ** हो जाएँगे। नियम को ध्यान में रखते हुए, परमेश्वर उनसे बदला लेगा "जैसे को तैसा।" इस्राएल का गरीबों, विधवाओं और अनाथों के प्रति दुर्व्यवहार का कारण यह था कि अन्ततः निर्वासन में राज्य की शुरुवात हो चुकी थी (व्यव. 27:19; 28:49, 50; यशा. 1:16-20; यिर्म. 7:4-7)।

आयत 25. तरस पर लेख के दूसरे भाग में इस्राएलियों को **किसी दीन** को **रुपए का ऋण** देने पर **ब्याज** लेने से मना किया जाता था (देखें लैव्य. 25:35-38; व्यव. 23:19, 20)। यदि किसी दीन को पैसे की आवश्यकता होती थी, तो उसके लिये ऋण को व्यावसायिक लेन-देन के बदले परोपकार के कार्य के रूप में सोचा जाना था: एक भाई जिसके पास अधिक था उसकी सहायता कर रहा था जिसके पास कम था।[22] "'दीन' के लिये शब्द [עָנִי, *यनी]* है जिसका अर्थ है तंगी से अभिभूत होना, और यह क्रिया आयत 22 में 'दुःख देना' [עָנָה, *यानाह]* से सम्बन्धित है।"[23]

आयतें 26, 27. स्पष्ट है, जो इस्राएली पैसे उधार देता था वह गरीबों के **वस्त्र** को ऋण के जमानत के रूप में स्वीकार कर सकता था, फिर भी उसे यह लेने की माँग नहीं की गई थी। तथ्य यह है कि एक वस्त्र एकमात्र संपार्श्विक था जिसे गरीब मनुष्य दिखा सकता था कि वह कितना गरीब था। यदि कोई ऋणदाता उस वस्त्र को ले भी लेता था, तो रात होने से पहले उसे लौटा देना पड़ता था; अन्यथा, गरीब के पास सोने पर स्वयं को गर्म रखने के लिये कुछ भी नहीं होता था। विधवाओं और अनाथों के नियमों के अनुसार, परमेश्वर ने गरीबों पर दया रखने के बारे में नियम का पालन करने का एक कारण दिया: क्योंकि वह उनकी रक्षा करनेवाला है।

परमेश्वर का आदर करनेवाला नियम (22:28-31)

[28]"परमेश्वर को श्राप न देना, और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। [29]अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलम्ब न करना। अपने बेटों में से पहिलौठे को मुझे देना। [30]वैसे ही अपनी गायों और भेड़-बकरियों के पहिलौठे भी देना; सात दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे, और आठवें दिन तू उसे मुझ को दे देना। [31]तुम मेरे लिये पवित्र मनुष्य बनना; इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस न खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना।"

सम्पत्ति और दया के सम्बन्ध में नियमों के अतिरिक्त, अध्याय 22 परमेश्वर का आदर करने से सम्बन्धित नकारात्मक और सकारात्मक निर्देश देता है। यह

मूर्तिपूजा से सम्बन्धित पापों की बात करता है, जो मृत्यु दण्ड लाता था (22:18-20), और यह नियमों के एक समूह के साथ समाप्त होता है जिसमें परमेश्वर के लोगों को उसका आदर विशेष रीति से करने की आवश्यकता होती है (22:28-31)। ये किसी दण्ड या दबाव प्रक्रियाओं के बिना "तू करना" और "तू न करना" के संदर्भ में तैयार किए गए हैं।

आयत 28. इनमें से पहला नियम यह दर्शाता है कि **परमेश्वर को श्राप** देना गलत था। "परमेश्वर" के लिये शब्द אֱלֹהִים *(एलोहीम)* है। क्योंकि *एलोहीम* बहुवचन है, यह कभी-कभी इस्राएलियों के आसपास के राष्ट्रों के मूर्तिपूजक "देवताओं" के लिये प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में, यह शब्द इस्राएल के एकमात्र सच्चे परमेश्वर को संदर्भित करता है, "देवताओं" को नहीं। यह अर्थ इस तथ्य से स्पष्ट है कि नियम के लिये इस्राएल को यह कहना अविचारणीय होगा कि "देवताओं" को श्राप नहीं देना है, जब ऐसे देवता तो स्वीकार भी नहीं किए जाते थे। *एलोहीम* शब्द "प्रधानों" या "न्यायियों" की भी परिभाषा दे सकता है, कुछ टिप्पणीकार जिसका आयत 28 (21:6 पर टिप्पणियाँ देखें; 22:8 पर टिप्पणियाँ देखें) में समर्थन करते हैं।

"परमेश्वर को श्राप देना" तीसरी आज्ञा का उल्लंघन करना होगा जो ईश्वरीय नाम (20:7) के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है। इस अपराध की गम्भीरता को बाद में पंचशास्त्र में मिली एक कहानी में देखा जा सकता है। एक दूसरे के साथ लड़ते समय, एक इस्राएली स्त्री का पुत्र और एक मिस्री पुरुष के "नाम की निन्दा करते थे और श्राप देते थे।" परिणामस्वरूप, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपराधी को "मार डाला जाए।" परमेश्वर के निर्देशों के उत्तर में इस्राएलियों ने उस पुरुष को "छावनी के बाहर किया और उसे पत्थरवाह किया" (लैव्य. 24:10-16, 23)।

अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना परमेश्वर को श्राप देने के समान था, जो उसके प्रधान बनने का कारण था। इस नियम की गंभीरता को भी बाद में पंचशास्त्र में अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। जब कुछ इस्राएलियों ने मूसा और हारून के विरूद्ध विद्रोह किया, जिन्हें परमेश्वर ने अगुवा नियुक्त किया था, परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया (गिनती 16)। नए नियम में, पौलुस ने महायाजक के विरूद्ध बोलने के बाद इस आयत को उदधृत किया था (प्रेरितों 23:5)।

आयतें 29, 30. परमेश्वर पहले ही कह चूका था कि इस्राएलियों को पराए देवताओं को बलिदान नहीं चढ़ाना था, परन्तु उसके लिये बलिदान करना था (22:20)। इन आयतों में, उसने विशेष रूप से कहा कि इस्राएल अपनी पहली उपज उसके पास ले लाएँ - उनके **खेतों की उपज** (अनाज) और **फलों के रस** (पेय पदार्थ) का सबसे उत्तम भाग। उनके **बेटों** और जानवरों में से **पहिलौठे** के सम्बन्ध में देने की आवश्यकता को विशेष रूप से कहा गया है। इसलिये, यह सिद्धान्त उनकी उपज के सम्बन्ध में सच होगा (देखें 23:19; व्यव. 18:4; 26:1, 2)। जानवरों और कटाई वाली उपज को प्रत्यक्ष रूप से भेंट किया जाना था, जबकि पहिलौठे बेटे को पैसे या बराबर बलिदान के साथ छुड़ाया जाना था (13:12, 13; 34:20)।

यह तथ्य कि इस्राएलियों को पराए देवताओं के लिये बलिदान नहीं करना था, परन्तु परमेश्वर के लिये बलिदान के एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त को दिखाया गया था: यह केवल पाप से बचने के लिये पर्याप्त नहीं था; यहोवा के लोगों को सक्रिय रूप से वह जो चाहता था, उसे करने के लिये तत्पर रहना था।

आयत 31. इस छोटी सी श्रृंखला में अन्तिम आवश्यकता **मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले** पशु का **मांस खाने** पर निषेध है। उदाहरण के लिये, यह किसी भेड़िया द्वारा मारा गया भेड़ का बचा हुआ मांस भी हो सकता था। इसे खाने के बदले, घर के स्वामी को उसे कुत्तों के आगे फेंकना था, जो अशुद्ध मैला साफ करनेवालों के रूप में जाने जाते थे (1 राजा 14:11; 16:4; 21:19, 23, 24; 22:38; 2 राजा 9:10, 36; भजन. 59:6, 14, 15; 68:23; यिर्म. 15:3)। क्यों? एक स्पष्ट उत्तर यह है कि मैदान में फाड़े हुए पशु के शरीर से लहू अच्छी रीति से नहीं निकल पाता था; इसलिये, लहू को बिना खाए मांस को खाना असम्भव था। लहू खाने के विरोध में पहले से ही बहुत पुराना प्रतिबंध था (उत्पत्ति 9:3, 4; देखें व्यव. 12:16, 23)।

इस रीति पशु को नहीं खाने वाले इस्राएलियों को परमेश्वर के **पवित्र मनुष्यों** के साथ क्या करना है? पवित्र होने का अर्थ "अलग होने" और लहू खाने से बचा जाना एक ऐसा अभ्यास था जो इस्राएल को उनके पड़ोसियों से अलग करता था। यह इस्राएल की "पवित्रता" या "अलग होने" का संकेत था - यह तथ्य कि इस्राएल परमेश्वर के विशेष लोग या प्रिय जन था। कोल ने कहा, "सभी इस्राएल वास्तव में याजकों के समाज थे (निर्गमन 19:6)। यह असम्भव था कि एक याजक अशुद्ध खाने के द्वारा स्वयं को (और परमेश्वर को अशुद्ध) अपवित्र करे।"[24]

अनुप्रयोग

मूसा के नियम का प्रयोग आज कैसे किया जा सकता है?

(अध्याय 20-23)

निर्गमन 20-23 में हम उन नियमों को पा सकते हैं जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था। जब हम मसीहियों के रूप में इन नियमों को पढ़ते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि वे हमारे लिये किसी भी मूल्य के बारे में कैसे सोच सकते हैं-आज भी शास्त्र का यह भाग "लाभदायक" हो सकता है (2 तीमु. 3:16, 17) हम दस आज्ञाओं (20:1-17) के मूल्य को देखते हैं, परन्तु नियम का विवरण अप्रासंगिक लगता है। निर्गमन 20-23 में पाए जाने वाले कानूनी सामग्री का उपयोग हम मसीही होने के रूप में कैसे कर सकते हैं?

क्या आज हम इस नियम को बंधन के रूप में मानते हैं? इन लेखों को हमारे लिये नियम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि नया नियम हमें यह सिखाता है कि पुराना नियम को हटा दिया गया है (गला. 3:24, 25)। दस आज्ञाओं को भी नहीं, जैसा कि, आज ये हमारे लिये बंधन हैं।

क्या हमें यह मानना होगा कि परमेश्वर इरादा रखता है आज राष्ट्रों को नियम

पर शासित होना चाहिए? ये नियम सभी के लिये नहीं थे। परमेश्वर चाहता था कि इस्राएल एक आदर्श समाज एक "पवित्र राष्ट्र" बन जाए। हमें उन सिद्धान्तों की नकल करनी चाहिए जिन पर नियम आधारित हैं (यद्यपि विशिष्ट शर्तें नहीं हैं)। ये सिद्धान्त एक आदर्श रूप हैं जो आदर्श समाज में होते हैं:

1. निष्पक्षता और न्याय।
2. विधवाओं और अनाथों, दीनों, परदेशियों जो इस्राएलियों के बीच रहते थे, बूढ़े और विकलांगों की देखभाल के लिये दया और तरस।
3. मानव जाति का मूल्य। मनुष्यों को पशुओं या सम्पत्ति से भिन्न श्रेणी में रखा गया था। मानव जीवन इतना मूल्यवान था कि दुर्भावनापूर्ण रूप से जीवन लेने के लिये एकमात्र उचित दण्ड हत्यारे के जीवन को बन्दी बना लेना था।
4. घर और परिवार का महत्व।
5. सम्पत्ति के अधिकार को प्राप्त करना चुराई हुई सामग्री के नियमों द्वारा संरक्षित किया गया था।
6. व्यक्तिगत जिम्मेदारी।
7. एक सच्चे परमेश्वर की आराधना की केन्द्रीयता।

मसीही नियम का अध्ययन करने से बहुत कुछ सीख सकते हैं (देखें रोमियों 15:4)। नियम परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं जो इंगित करते हैं कि उसके लोगों में वह क्या महत्व रखता है। आज हमारे जीवन में निम्नलिखित सिद्धान्तों को लागू करने से वे हमें उसे प्रसन्न करने में सहायता कर सकते हैं।

परमेश्वर को हमारे जीवन का मुख्य केन्द्र बनाएँ। इस्राएल में, जीवन के हर पहलू परमेश्वर के नियम द्वारा शासित किया गया था। इसी तरह, मसीही के जीवन के हर पहलू को परमेश्वर के नियम द्वारा शासित किया जाना है। हमें हर बातों में उसकी इच्छा पूरी करने के बारे में चिन्तित होना चाहिए। आराधना में, परिवार में, व्यापार में, और मनोरंजन में, हमें पूछना चाहिए, "प्रभु क्या चाहता है जो मुझे क्या करना होगा?"

जो लोग हमसे कम भाग्यशाली हैं, उनके प्रति करुणामय रहें। पुराने नियम के नियमों के लिये आवश्यक था कि गरीबों, दासों, विधवाओं और अनाथों और परदेशियों के लिये दया दिखाएँ। हमें भी, दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की सहायता करने के बारे में चिन्तित होना चाहिए।

निष्पक्ष और न्याय प्रिय बनें. नियम में निष्पक्षता और न्याय पर जोर देना, हमारी आवश्यकता को दिखता है कि हमें दोनों कलीसिया के भीतर और बाहर दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में पूरी तरह से निष्पक्ष और न्याय प्रिय होना है।

कलीसिया में नियम के सिद्धान्तों को समझाएँ। हमें हर मनुष्य के जीवन का सम्मान करना, व्यक्तिगत अधिकारों और जिम्मेदारियों को पहचानना, न्याय और निष्पक्षता का मूल्य समझना, सभी के प्रति करुणा दिखाना, परिवार के महत्व पर

जोर देना और परमेश्वर और उसकी इच्छा को अपने समाज की नींव बनाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, तो कलीसिया "जातियों के लिये प्रकाश" (यशा. 42:6), "नगर पहाड़ पर बसा हुआ है" (मत्ती 5:14) के समान बन जाएगा, बाहरी लोगों को अपनी गर्मजोशी के साथ संगति में आकर्षित करेगा।

उपसंहार। हम सोच सकते हैं कि पुराना नियम के नियम महत्वहीन हैं, हमें उनका अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि, उनमें हम देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएल को उसके लिये क्या होने को चाहता था। काफी हद तक, कम से कम सिद्धान्त में, यही वह है जो परमेश्वर चाहता है कि आज हम उसके लोग कहलाएँ।

दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी (22:21-27)

नियम, अपने व्यक्तिगत नियमों के साथ, सिद्धान्तों को दर्शाता है जो परमेश्वर के लोगों की जिम्मेदारियों के बारे में हमेशा सच रहेगा। उन सिद्धान्तों में से एक यह है कि परमेश्वर के लोगों को सहायता करना है, और दुर्भाग्यपूर्ण का कभी भी लाभ नहीं लेना है। इस्राएल परदेशियों, विधवाओं और अनाथों, और गरीबों के लिये चिन्ता दिखाना था। लैव्यव्यवस्था 19:14 के आधार पर, हम उस सूची में विकलांगों को जोड़ सकते हैं।

नया नियम क्या कहता है? मत्ती 25:31-46; गलातियों 2:10; 6:10; और याकूब 1:27 को देखें। मसीही होने पर हमें दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? इन्हीं कुछ कारणों के लिये परमेश्वर ने इस्राएल को दिया:

(1) *क्योंकि हमें पाप के दासत्व से निकाल लाया गया है।* क्योंकि हम आत्मिक और भौतिक दोनों रूप से इतने धन्य हैं, कि हमें दूसरों के लिये आशीष होना चाहिए।

(2) *क्योंकि हम दया दिखाने के लिये हैं।* आइए हम दूसरों के साथ करें करते जो हमारे पास हैं हम उनके लिये करें (मत्ती 7:12)।

(3) *क्योंकि दुःखी लोग परमेश्वर के हृदय के करीब एक विशेष स्थान पर अधिकार रखते हैं।* वह उनके दुर्व्यवहार का बदला देगा (22:23, 24; देखें मत्ती 25:41-46)। परमेश्वर के समान बनने और उसके क्रोध से बचने के लिये हमें दुःखी लोगों का ध्यान रखना चाहिए।

प्रधानों को आदर दिखाना (22:28)

लोगों के प्रधानों को श्राप देने का स्पष्ट प्रमाण परमेश्वर को श्राप देने के समान है। हम उन लोगों के प्रति आदर दिखाते हैं जो हमारे ऊपर प्रधानता करते हैं (रोमियों 13:1-7; 1 तीमु. 2:1, 2; 1 पतरस 2:13, 17)। इसी प्रकार, हमें उन लोगों का भी आदर करना चाहिए जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं (इब्रा. 13:7, 17)।

"तुम मेरे लिये पवित्र मनुष्य बनना" (22:31)

जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस खाना इस्राएल को प्रदूषित करना होगा; यह लोगों को "अपवित्र" बना देगा। जैसा कि इस्राएल एक "पवित्र राष्ट्र" था, हमें भी पवित्र होना चाहिए (1 पतरस 1:15; 2:9)। इसलिये, हमें किसी भी गतिविधि, किसी भी टीवी कार्यक्रम या फिल्म, किसी भी वेबसाइट से बचने की जरूरत है, जो हमें पवित्र बनने से रोकते हैं परमेश्वर की सेवा के लिये लोगों को संसार से अलग करने से रोकता है।

समाप्ति नोट्स

[1]आर. एलन कोल, *एक्सोडस: एन इंट्रोडक्शन एण्ड कमेन्टरी,* टिंडेल ओल्ड टेस्टामेंट कमेन्टरीज (डाउनर्स ग्रोव, इल्लिनोय: इंटर-वरसिटी प्रेस, 1973), 171. [2]"द कोड ऑफ हम्मूराबी," में चोरों को कुछ मामलों में मृत्युदण्ड सुनाया गया था। देखें जेम्स बी. प्रीचर्ड, एड., *एन्सिएन्ट नियर ईस्टर्न टेक्स्ट्स रिलेटिंग टू दि ओल्ड टेस्टामेंट,* 3डी एड. (प्रिन्सटोन, न्यू जर्सी: प्रिन्सटोन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1969), 166-67 (संख्या 6, 7, 21, 22)। नियम 21 में किसी घर में एक मनुष्य को "एक सेंध" लगाते हुए देखने की कल्पना की गई। यह क्रिया 22:2 के समानान्तर है, जहाँ शब्द "सेंध लगाने" (מְחַתֶּרֶת, *माचथेरेथ)* को खुदाई करने के लिये संदर्भित किया गया है (देखें अय्यूब 24:16; यहेज. 8:8; 12:5, 7, 12)। [3]कोल, 171. यही विचार विल्बर फील्ड्स, *एक्सप्लोरिंग एक्सोडस,* बाइबल स्टडी टेक्स्टबुक सीरीज (जोप्लिन, मिस्सौरी: कॉलेज प्रेस, 1976), 484 में प्रस्तुत किया गया है। [4]पीटर एन्स, *एक्सोडस,* द एनआईवी एप्लीकेशन कमेंटरी (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: जोंडरवन, 2000), 449. [5]जेम्स बर्टन कॉफमैन, *कमेन्ट्री ऑन एक्सोडस, द सेकंड बुक ऑफ मोजेस* (एबिलीन, टेक्सस: एसीयू प्रेस, 1985), 315-16. [6]जे. फिलिप ह्यूाट, *एक्सोडस,* द न्यू सेंचुरी बाइबल कमेन्टरी (ग्रैंड रेपिड्स, मिशिगन: वी. बी. एर्डमंस पब्लिशिंग कं., 1971), 238. [7]जॉन आई. डरहम, *एक्सोडस,* वर्ड बिब्लिकल कॉमेन्ट्री, वॉल्य. 3 (वाको, टेक्सस: वर्ड बुक्स, 1987), 326. [8]प्राचीन निकट पूर्व में अन्य नियम कोड 22:8, 9 के समान नियम प्रदान करता है, जैसे "द लॉज ऑफ एशनुना" एण्ड "द कोड ऑफ हम्मुराबी" देखें प्रीचर्ड, 163 (संख्या 36, 37), 171 (संख्या 120-126)। [9]इस तीसरे मामले के समान नियम "द कोड ऑफ हम्मुराबी" एण्ड "द हिटाइट लॉज" में पाया गया है। उपरोक्त, 176 (संख्या 245-249), 192 (संख्या 75, 76)। [10]एन्स, 450.

[11]नहूम एम. सरना, *एक्सोडस,* द जेपीएस टोराह कमेन्टरी (न्यू यॉर्क: ज्यूईस पब्लिकेशन सोसायटी, 1991), 134-35. [12]"मध्य असीरिया के नियम" में समानान्तर देखें, जहाँ कीमत चुकाए जाने आवश्यकता होती थी और पिता अपनी बेटी के भविष्य का निर्णय लेता था (प्रीचर्ड, 185 [संख्या 56])। [13]कोल, 173. [14]पुराने नियम के कुछ अन्य हवालों में जादू-टोना और इसी तरह की प्रथाओं की निंदा की गई है (लैव्य. 19:31; 20:6, 27; व्यव. 18:10, 11; 2 राजा 21:6; 1 इतिहास 10:13; यशा. 8:19; मीका 5:12)। नये नियम में भी जादू-टोना और भूत सिद्धि की निंदा की गई है (गला. 5:19, 20; प्रका. 21:8; 22:15)। [15]कॉफमैन, 321. [16]कोल, 174. [17]एन्स, 451. [18]"हित्ती कानून" भी अधिकांश मामलों में मुख्य अपराध के रूप में पशुगमन की निंदा करते थे। देखें प्रीचर्ड, 196-97 (संख्या 187, 188, 199, 200ए)। [19]सरना, 137. [20]उपरोक्त।

[21]फील्ड्स, 493. [22]यीशु इस आशय का विस्तार करते हुए कहता है, "जो कोई तुझ से माँगे, उसे दे; और जो तेरी वस्तु छीन ले, उससे न माँग।" (लूका 6:30)। [23]नोएल डी. ओसबॉर्न एण्ड हावर्ड ए. हैटन, *अ हैंडबुक ऑन एक्सोडस* (न्यू यॉर्क: यूनाइटेड बाइबल सोसाइटीज, 1999), 534. [24]कोल, 176.